राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो./20/पार्ट–1/170

दिनांक : 04.08.2020

–: अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expressions of Interest-EoI) का आमंत्रण :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार के संकल्प "कोई भूखा न सोये" को साकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में इन्दिरा रसोई योजना दिनांक 20.08.2020 से शुरू की जा रही है। योजना के संचालन का मूल उद्देश्य न्यूनतम लागत पर जरूरतमंद आमजन को सेवाभाव के आधार पर भोजन उपलब्ध कराना है। अतः व्यवसायिक हित के स्थान पर सेवाभाव के आधार पर कार्य करने के इच्छुक प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयंसेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी_ संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ/नगर स्तरीय संघ को रसोईयों के संचालन हेतु राज्य के सभी नगरीय निकायों में सूचीबद्ध (Empanel) एवं चयन करने हेतु दिनांक 10.08.2020 तक अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EoI) आमंत्रित की जाती है।

नगरीय निकायवार रसोईयों की संख्या विस्तृत विवरण EoI में उपलब्ध है। प्रत्येक रसोई हेतु आवेदन पत्र अलग–अलग प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक आवेदक संबधित जिला मुख्यालय की नगर निकाय (नगर निगम/परिषद) में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।

विस्तृत अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EoI) तथा योजना के दिशा–निर्देश (गाईडलाईन) नगर निगम/नगरपरिषद/नगरपालिका कार्यालय तथा विभाग की वेबसाईट www.lsg.urban.rajasthan .gov.in, www.cmar-india.org से प्राप्त/डाउनलोड की जा सकती है।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

इन्दिरा रसोई योजना

(INDIRA RASOI YOJANA)

के तहत स्थायी रसोईयों के संचालन हेतु

पंजीकृत प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयंसेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ/नगर स्तरीय संघ को सूचीबद्व (Empanel) एवं चयन करने हेतु

"अभिरूचि की अभिव्यक्ति (**Exressions of Interest-EoI**)"

का आमंत्रण।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति को सम्बंधित जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय (नगर निगम/परिषद) में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि –

दिनांक 10.8.2020 को सांय 5.00 बजे तक

सुरेश चन्द गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

इन्दिरा रसोई योजना अन्तर्गत स्थायी रसोईयों के संचालन हेतु राज्य की सभी नगरीय निकायों में कार्यकारी संस्थाओं को सूचीबद्ध (Empanel) व चयन करने हेतु

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Exressions of Interest-EoI) का आमंत्रण।

1. **परिचय** – माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा "कोई भूखा ना सोये" के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में "इन्दिरा रसोई योजना" की शुरूआत की घोषणा की है। इस योजना के तहत जरूरतमन्द लोगों को दो समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को रूपये 8/– प्रति थाली की दर पर दोपहर एवं 8 रूपये प्रति थाली की दर से रात्रिकालीन भोजन उपलब्ध कराया जाना है। निर्देशानुसार राज्य के सभी नगरीय निकायों में योजना का दिनांक 20.08.2020 से शुभारम्भ किया जाना है। योजना की विस्तृत गाईडलाइन विभाग की वेबसाइट (LSG.URBAN.RAJASTHAN.GOV.IN) पर उपलब्ध हैं।

2. **मुख्य नियम व शर्तें** :– संस्था के सूचीबद्ध व चयन करने, उनके कार्य व दायित्व तथा इसके लिए उनको भुगतान आदि से संबंधित मुख्य नियम/शर्तें निम्नानुसार है :–

   1. इन्दिरा रसोई के संचालन का मूल उद्देश्य न्यूनतम लागत पर जरूरतमंद आमजन को सेवा आधार पर भोजन उपलब्ध कराना है। अतः व्यावसायिक हित को मूल आधार ना मानते हुए केवल सेवाभाव के आधार पर ही आवेदन किया जाना अपेक्षित है।
   2. इच्छुक आवेदक प्रत्येक रसोई हेतु पृथक–पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप **परिशिष्ठ 'अ'** में संबधित जिला मुख्यालय के नगर निकाय (नगर निगम/परिषद) में प्रस्तुत करेगा, जिसकी सूची **परिशिष्ठ – 'ब'** पर संलग्न है।
   3. जिले की प्रत्येक नगर निकाय में रसोई योजना संचालन हेतु संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जायेगा। रसोई के संचालन हेतु प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयंसेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट/ स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ/नगर स्तरीय संघ आदि से आवेदन प्रत्र आमंत्रित किये जाते है।
   4. चयनित संस्था का एमपैनलमेन्ट व चयन प्रथमतया 3 वर्ष तक के लिए किया जायेगा, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। संस्था की परफोरमेन्स व कार्यव्यवहार संतोषजनक नही पाये जाने या किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने व जांच/सत्यापन में सही पाये जाने पर संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी संस्थाओं को भविष्य में आवेदन हेतु अयोग्य माना जायेगा।
   5. संचालक संस्था का एमपैनलमेन्ट व चयन उसकी सक्षमता, कार्यानुभव, सेवाभाव एवं कार्यकलापों के आधार पर किया जायेगा।

4/8
सुरेश चन्द्र गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर

6. चयनित संचालक संस्था को किसी भी परिस्थिति में अन्य संस्था को **Sub-Contract** या **Partnership** में कार्य आवंटित करने का अधिकार नही होगा। ऐसी स्थिति में संचालक संस्था का चयन निरस्त किया जा सकेगा।

7. चयनित संचालक संस्था द्वारा चयन के अधिकतम तीन दिवस में संबंधित नगर निकाय के साथ संलग्न प्रारूप **परिशिष्ठ 'स'** में रू. 500/- के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबंध (Agreement) अनिवार्य रूप से करना होगा, अन्यथा उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

8. एक संस्था एक से अधिक नगरीय निकाय/रसोई हेतु आवेदन कर सकेगी।

9. रसोईयों के संचालन हेतु भुगतान जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय (नगर निगम/परिषद) द्वारा संचालक संस्था को दिए गए कार्यादेश में वर्णित दरों के अनुसार किया जायेगा।

10. चयनित संस्था को कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा। संस्था को आवंटित कार्यादेश की समय पर पालना नही करने की स्थिति में या किसी भी अन्य कारण से संस्था का चयन निरस्त होने या संस्था द्वारा कार्य छोड़ने पर एम्पेनलमेन्ट में से उससे कम वरीयता वाले संस्था को कार्य आवंटित किया जा सकेगा।

3. <u>प्रतिभूति (Security)</u> – आवेदन-पत्र के साथ प्रत्येक रसोई हेतु निम्नानुसार राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-

1. नगर निगम क्षेत्र की प्रत्येक रसोई हेतु प्रतिभूति राशि – 15000/- रूपये
2. नगर पालिका एवं परिषद् क्षेत्र की प्रत्येक रसोई हेतु प्रतिभूति राशि – 10000/- रूपये

उपरोक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय (नगर निगम/परिषद) के आयुक्त के पक्ष में देय होना चाहिए। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर असफल आवेदकों (एम्पेनलमेन्ट हेतु चयन नहीं होने पर) को प्रतिभूति राशि वापस लौटा दी जायेगी तथा एमपैनलमेन्ट में सम्मिलित संस्थाओं की यह राशि एमपैनलमेन्ट/चयन अवधि समाप्त होने पर लौटायी जायेगी।

यदि कोई संस्था राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि नहीं लेने का प्रस्ताव देती है (स्वयं के स्तर से वहन करती है), तो उससे प्रतिभूति नही ली जायेगी।

4. अनिवार्य योग्यता (Eligiblity Criteria) : आवेदन करने वाली संस्था को Empanel एवं चयन हेतु निम्नानुसार योग्यता होना आवश्यक है:-

1. आवेदन करने वाली संस्था का पंजीयन किसी भी एक राजकीय संस्था में निम्न अधिनियम के तहत होना आवश्यक है यथा देवस्थान ट्रस्ट एक्ट-1882 में पंजीयन, कॉपरेटिव एक्ट-1958 में पंजीयन, कंपनी एक्ट 2013 में पंजीयन, साझेदारी एक्ट 1932 में पंजीयन, भारतीय न्यास अधिनियम -1882 में पंजीयन।
2. संस्था को PAN नं. की प्रति संलग्न करनी होगी।
3. संस्था को जीएसटी नं. की प्रति संलग्न करनी होगी यदि जीएसटी में पंजीयन नही है तो कार्यादेश में वर्णित दर के अनुसार प्रति वर्ष की अनुमानित लागत के आधार पर जीएसटी प्रावधान लागू होने पर संस्था को नियमानुसार जीएसटी पंजीयन करवाना होगा।

418
सुरेश चन्द्र गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर

5. **संस्था की चयन प्रक्रिया** – प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर उसकी सक्षमता, कार्यानुभव, सेवाभाव एवं कार्यकलापों के आधार पर निम्नानुसार क्रम में वरीयता देते हुए Empanel एवं चयन किया जाएगाः–

   1. जिन संस्थाओ का स्वयं का भवन हो ओर राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान नहीं लेकर, स्वयं के स्तर से योजना के मानदंडों के अनुसार रसोई का संचालन करने का प्रस्ताव दे।
   2. जो संस्था राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि न लेकर योजना के मानदंडों के अनुसार रसोई का संचालन करने का प्रस्ताव दे।
   3. जिन संस्थाओ का स्वयं का/स्वपोषित किराये का भवन हो, जो पूर्व में ऐसा कार्य कर रही हो।
   4. प्रतिष्ठित स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थानीय संस्थाओं के एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर अधिक अनुभव वाली संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।
   5. ऐसी संस्था जो पूर्व में ही रसोई संचालित कर रही है, वे भी योजना से जुड़ सकती है। उन्हे अपनी रसोई में इन्दिरा रसोई योजना का लोगो प्रदर्शित करना होगा। साथ ही योजना के दिशा–निर्देशो के अनुरूप कार्य करना होगा।

   उपरोक्त वरीयता में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति, कार्यानुभव, कार्यक्षमता इत्यादि के आधार पर चयन हेतु जिला स्तरीय समिति अधिकृत होगी।

6. **चयन समिति**– प्राप्त आवेदन पत्रों में से संचालक संस्था का चयन गाईडलाईन के बिन्दु क्रमांक 4.2 के अनुसार गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय समिति द्वारा किया जायेगा।

7. <u>**विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाली रसोई एवं संसाधन**</u>

   1. **स्थान**–संबंधित नगर निकाय द्वारा रसोई हेतु स्थान निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा। उपयुक्तता के आधार पर स्थान निर्धारण कर सरकारी भवनों, आश्रय–स्थल, अम्बेडकर भवन, सामुदायिक भवन, अनुपयोगी सरकारी भवनों, अस्पतालों, बस स्टेण्डों, चयनित संस्था के निजी भवनों आदि में संचालित की जायेगी। उक्त में से स्थान की अनुपलब्धता पर किराये के भवन में रसोई का संचालन किया जा सकेगा, जिसका भुगतान योजना के आवृति व्यय मद से किया जा सकेगा। यदि कोई संस्था रसोई संचालन हेतु अपने स्वयं का भवन अथवा संस्था के द्वारा स्वपोषित किराये के भवन का प्रस्ताव देती है तो EoI में वर्णित वरीयता के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
   2. **आधारभूत व्यय**– प्रत्येक रसोई हेतु निम्नांकित आधारभूत संसाधन नगरीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें – (i) भवन की एकरूपता साज–सज्जा (ii) पेयजल, विद्युत एवं गैस कनेक्शन (iii) रसोई हेतु बर्तन, बर्तन स्टेण्ड, खाना बनाने का प्लेटफॉर्म, गैस–चूल्हा, वेजिटेबल स्टेण्ड, गैस भट्‌टी, चिमनी, वाटर कूलर– आरओ सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज, चपाती वार्मर, सब्जी वार्मर, मिक्सर ग्राईण्डर, आटा गूथने की मशीन (iv) कम्प्यूटर, लेजर प्रिन्टर, इन्टरनेट, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम (v) टेबल–कुर्सी एवं अन्य फर्नीचर (vi) सैनिटाइजर एवं मास्क (vii) कार्मिकों की यूनिफार्म एवं जिला समन्वय एवं मॉनिटरिंग

सुरेश चन्द्र गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर

समिति द्वारा निर्देशित अन्य कार्य पर व्यय किया जायेगा। उपरोक्त संसाधनो की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबधित संचालक संस्था की होगी।

3. **आवर्ती व्यय**– प्रत्येक रसोई हेतु निम्नांकित संसाधन पर होने वाला आवृति व्यय नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा – (i) पेयजल, इन्टरनेट एवं विद्युत के बिलों का भुगतान (ii) भवन के रंग रोगन, मरम्मत एवं साज–सज्जा का कार्य (iii) सैनिटाइजर एवं मास्क (iv) आवश्यकतानुसार खराब बर्तन एवं केटरिंग सामान का रिप्लेसमेन्ट (v) सरकारी भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में भवन किराया जिला समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति की अनुशंषा पर रसोई के सुचारू संचालन में होने वाला अन्य व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा।

8. **खाने की संख्या** – रसोई संचालन के प्रथम वर्ष में नगर निगम क्षेत्रों में प्रति रसोई प्रतिदिन अधिकतम 300 थाली लंच एवं 300 थाली डिनर तथा नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्रों में प्रति रसोई प्रतिदिन अधिकतम 150 थाली लंच एवं 150 थाली डिनर दिया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति की अनुशंषा पर भोजन की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी। संस्था द्वारा लाभार्थी को बैठाकर भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा।

9. **मैन्यू** –योजनान्तर्गत भोजन में चपाती, दाल, सब्जी एवं अचार सम्मिलित की जायेगी तथा स्थानीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार मैन्यू में स्थानीय स्वादानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार दिया जाएगा।

10. सामान्यतः दोपहर का भोजन प्रातः 8.30 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक एवं रात्रिकालीन भोजन सायं 5.00 बजे से 8.00 बजे तक उपलब्ध कराया जायेगा, किन्तु जिला स्तरीय समिति अपने स्तर पर समय में परिवर्तन कर सकेगी। सर्दी एवं गर्मी के मौसम में आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन किया जा सकेगा।

11. जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति स्थानीय स्वादानुसार भोजन का मैन्यू निर्धारित करेगी। सप्ताह के प्रत्येक दिन मैन्यू भी स्थानीय स्वाद अनुसार समिति द्वारा निर्धारण किया जायेगा।

12. **लाभार्थी से ली जाने वाली राशि एवं देय अनुदान राशि :–**

1. लाभार्थी से दोपहर के भोजन हेतु 8 रू0 प्रति थाली एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु 8 रू0 प्रति थाली लिए जायेगें।

2. राज्य सरकार द्वारा दोपहर भोजन हेतु प्रति थाली 12 रू. एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु प्रति थाली 12 रू. की राशि अनुदान के रूप में संबंधित संस्था को दी जाएगी। नियमानुसार जीएसटी राशि का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

3. यदि कोई संस्था अनुदान राशि नही लेने का प्रस्ताव देती है तो प्रस्ताव युक्तियुक्त पाये जाने की स्थिति में उस पर EoI में वर्णित वरीयता के अनुसार विचार किया जाएगा। इस संबंध में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

13. **दान व जनसहभागिता**– इस योजना में व्यक्ति/संस्था/कॉर्पोरेट/फर्म आर्थिक सहयोग कर सकती है। दान/सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में ही किया जा सकेगा। जिला कलक्टर अपने स्तर पर क्षेत्र में स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थान से सीएसआर फण्ड से सहयोग हेतु प्रयास करेगें तथा इन संस्थानों से एक या अधिक इंदिरा रसोई के संपूर्ण संचालन का जनसहभागिता के आधार पर

सुरेश चन्द गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर

उत्तरदायित्व दे सकते है। रसोई में विभिन्न दानदाताओं द्वारा अपने परिजनों की वर्षगांठ, जन्मदिवस या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर/रात्रि या दोनों समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं, भोजन के लागत मूल्य का भुगतान प्रायोजक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। आगंतुकों के लिए प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। इस आशय का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर संबंधित संस्था द्वारा किया जा सकेगा कि "आज का भोजन श्री .... द्वारा .... कारण से प्रायोजित है।" प्रायोजक व्यक्ति द्वारा लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में किया जाएगा। भोजन प्रायोजित करने वाले व्यक्ति को उचित मान–सम्मान दिया जाएगा ताकि अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर सके। रसोई संचालित करने वाली संस्था द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किसी से भी रसोई प्रयोजनार्थ दान/सहयोग नहीं लिया जायेगा। परन्तु ऐसी संस्थायें सीधे रूप से दान एवं जनसहयोग की राशि ले सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि न लेकर अपने स्तर से योजना के मापदण्डों के अनुसार कार्य करेगी।

14. **भुगतान प्रक्रिया** – योजना के दिशा–निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

15. **संस्था की भूमिका एवं दायित्व** –जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति से चयनित संस्था रसोई के सुचारू संचालन हेतु उत्तरदायी होगी। चयनित संस्था, जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति तथा नगरीय निकाय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में कार्य करेगी। संस्था द्वारा जिला स्तरीय समिति, संबधित निकाय व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये/किये जाने वाले निर्देशों की अक्षरशः पालना करनी होगी। संस्था के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार होंगेः–

    1. संस्था द्वारा लाभार्थियों को स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन सम्मानपूर्वक बिठाकर उपलब्ध कराया जावेगा।
    2. संस्था द्वारा भोजन बनाने हेतु रसद व अन्य सामग्री यथा आटा, दाल, सब्जी, तेल, मसाले इत्यादि स्वयं के खर्च पर क्रय किये जायेगें। स्थानीय निकाय द्वारा बिल प्राप्त होने पर केवल अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
    3. भोजन बनाने एवं वितरण करने से संबंधित समस्त कार्य तथा केन्द्र को साफ सुथरा रखने के लिए आवश्यक कार्मिक एवं साधनों की व्यवस्था की जावेगी।
    4. संस्था द्वारा भोजन बनाने एवं वितरण करने से संबंधित कार्य हेतु लगाये गये कार्मिकों का वेतन भुगतान एवं आधारभूत/आवृति संसाधनो के अतिरिक्त उपयोग में लिए जा रहे साधनों का क्रय भी स्वयं के स्तर पर किया जावेगा।
    5. भोजन व्यवस्था के लिए लगने वाले ईंधन/गैस की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर की जावेगी।
    6. संस्था को जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति की सलाह से सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए स्थानीय स्वादानुसार मैन्यु तैयार करना होगा। संस्था द्वारा भोजन का मैन्यु, मूल्य एवं समय का विवरण रसोई के आसपास सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।
    7. रसद एवं अन्य सामग्री तथा रसोई पर हो रहे आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित किया जायेगा, जो कम्प्युटरीकृत होगा। यह समस्त जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगी। जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग कमेटी संस्था को दिए गए अनुदान की जाँच कर सकेगी।
    8. लाभार्थियों से भोजन हेतु राशि नगद के अलावा ऑनलाईन यथा पेटीएम, फोनपे, इत्यादि के माध्यम से भी ली जा सकेगी।

सुरेश चन्द गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर

9. लाभार्थी के रसोई में आगमन पर योजना हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थी का फोटो खींचकर, नाम व मोबाईल न0 अंकित कर लाभार्थी से निर्धारित राशि प्राप्त करने के पश्चात कूपन जारी किया जायेगा, तत्पश्चात ही भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। भोजन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पहचान हेतु आधार अथवा अन्य कोई दस्तावेज नहीं लिया जायेगा।

10. लाभार्थी से दोपहर का भोजन 8 रूपये प्रति थाली एवं रात्रि का भोजन की निर्धारित राशि 8 रूपये प्रति थाली ली जावेगी।

11. संस्था द्वारा वितरित भोजन की संख्या के आधार पर अनुदान हेतु मासिक बिल संबधित नगर निकाय को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। संस्था नगर निकाय से बिलों को प्रमाणित करवाकर बिल भुगतान हेतु जिला मुख्यालय की नगर निगम/नगर परिषद के आहरण वितरण अधिकारी को भिजवाने में सहयोग करेगा।

12. संस्था का यह दायित्व होगा कि कोई भी व्यक्ति जो रसोई पर नियत समय सीमा में भोजन के लिये आ रहा है, तो वह बिना भोजन के वापिस नही जावें।

13. प्रत्येक रसोई पर प्राथमिक उपचार/अग्निसुरक्षा उपकरण एवं सैनिटाईजर आदि रखे जावेगें।

14. रसोई का संचालन नियमित रूप से करना होगा। अपरिहार्य स्थिति में रसोई का संचालन नही कर पाने की स्थिति में संबधित नगरीय निकाय से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

15. आधारभूत मद से उपलब्ध कराये गये आधारभूत संसाधनो की जिम्मेदारी संचालक संस्था की होगी। चोरी होने अथवा खोने की स्थिति में संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर क्रय करना होगा। अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के बाद उपलब्ध कराये गये समस्त संसाधनो को संबधित नगरीय निकाय को लौटाने होंगे।

16. कार्यकारी संस्था को योजना से संबधित विवरण एवं लोगो डिस्प्ले बोर्ड पर या साईन बोर्ड के माध्यम से रसोई के बाहर एवं अन्दर प्रदर्शित करना होगा।

16. **मॉनिटरिंग व्यवस्था** – योजना के दिशा–निर्देशानुसार मॉनिटरिंग की जावेगी।

17. किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में होने पर जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

18. आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा–निर्देश – आवेदन पत्र सम्पूर्ण रूप से भरकर इसके साथ निम्न दस्तावेज संलग्न कर संबधित जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय में जमा कराना होगा–

1. आवेदन पत्र हस्ताक्षर सहित
2. प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट **"आयुक्त, संबधित जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय (नगर निगम/परिषद)"** का नाम के पक्ष में देय होगा।
3. EOI की प्रति (प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित मय संस्था की मोहर),
4. संस्था के पंजीयन के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि,
5. पेनकार्ड/जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सत्यापित प्रतिलिपि,
6. अनुभव संबंधी दस्तावेज, यदि उपलब्ध हो तो।

आवेदन कर्त्ता संस्था प्रधान के
हस्ताक्षर मय मोहर

सुरेश चन्द गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर

परिशिष्ठ – अ

इन्दिरा रसोई योजना

आवेदन पत्र

(प्रत्येक रसोई हेतु अलग–अलग आवेदन करे)

क्र स	विषय वस्तु	
1.	नगरीय निकाय का नाम जिसकी रसोई हेतु आवेदन किया जा रहा है।	....
2.	रसोई का कार्यक्षेत्र अथवा रसोई क्रमांक	....
3.	आवेदक संस्था का नाम	....
4.	आवेदक संस्था का प्रकार	....
5.	संस्था प्रधान का नाम	....
6.	संस्था के कार्यालय का सम्पूर्ण पता मय पिनकोड	....
7.	संस्था का सम्पर्क सूत्र	टेलीफोन .... मोबाईल न0....................
8.	संस्था का ई–मेल	....

सुरेश चन्द गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर

क्रम	विषय वस्तु	विवरण	संलग्न दस्तावेज	प्रस्ताव का पृष्ठ संख्या
9.	संस्था का पंजीयन व संबंधित दस्तावेज			
10.	संस्था का पेन न0 व संबंधित दस्तावेज			
11.	संस्था का जीएसटी व संबंधित दस्तावेज			
12.	संस्था के बैंक खाते का विवरण (निरस्त चैक की प्रति संलग्न करे)			
13.	प्रतिभूति राशि का विवरण व दस्तावेज			
14.	संस्था के संबंधित कार्यक्षेत्र मे अनुभव का विवरण व संबंधित दस्तावेज			
15.	यदि संस्था को किसी भी केन्द्र/राज्य सरकार की संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है अथवा नही (केवल हाँ/नही अंकित करें)			
16.	संस्था रसोई का संचालन, जिस भवन में करेगी, उसका विवरण	केवल एक का ही चयन कर निर्धारित स्थान पर विवरण भरे :— ☐ संस्था का स्वयं का भवन ☐ संस्था द्वारा स्वपोषित किराये का भवन ☐ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भवन		
I.	संस्था का स्वयं का भवन (सम्पूर्ण पता सहित)			
II.	संस्था द्वारा स्वपोषित किराये का भवन (सम्पूर्ण पता सहित)			
III.	राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भवन			
17.	वित्तीय प्रस्ताव – यदि राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान लेना चाह रहे है अथवा नही (केवल हाँ/नही अंकित करें)			
18.	EoI के समस्त पृष्ठ हस्ताक्षरित मय संस्था की सील (संलग्न कर पृष्ठ क्रमांक अंकित करें)			

उपरोक्त वर्णित समस्त सूचना मेरे द्वारा पूर्ण सत्यता से भरी गई है। यदि भविष्य में उपरोक्त में से कोई भी सूचना गलत पाई जाती है। तो मै उसका पूर्ण जिम्मेदार रहूगा।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय सील

सुरेश चन्द्र गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर

परिशिष्ठ 'ब'

List of ULBs

क्र.स	जिला	निकाय का नाम	रसोई की संख्या	निकाय का नाम जहां आवेदन प्रस्तुत करना है
1	Ajmer	Ajmer	10	Ajmer Municipal Corporation
2		Pushkar	1	
3		Kishangarh	3	
4		Sarwar	1	
5		Kekri	1	
6		Vijay Nagar	1	
7		Beawar	3	
8		Nasirabad	1	
9	Bhilwara	Bhilwara	3	Bhilwara Municipal Council
10		Gulabpura	1	
11		Gangapur	1	
12		Asind	1	
13		Shahpura	1	
14		Jahazpur	1	
15		Mandalgarh	1	
16	Tonk	Tonk	3	Tonk Municipal Council
17		Uniara	1	
18		Deoli	1	
19		Malpura	1	
20		Todaraisingh	1	
21		Niwai	1	
22	Nagaur	Nagaur	3	Nagaur Municipal Council
23		Kuchera	1	
24		Mundwa	1	
25		Kuchaman City	1	
26		Parbatsar	1	
27		Nawa	1	
28		Makrana	3	
29		Merta	1	
30		Degana	1	
31		Ladnu	1	
32		Didwana	1	
33	Bharatpur	Bharatpur	5	Bharatpur Municipal Corporation
34		Rupbas	1	
35		Bayana	1	
36		Bhusawar	1	
37		Weir	1	
38		Deeg	1	
39		Kaman	1	
40		Nadbai	1	
41		Nagar	1	

सुरेश चन्द गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,

42		Kumher	1	
43		Sikari	1	
44		Ucchain	1	
45	Dhaulpur	Dhaulpur	3	Dhaulpur Municipal Council
46		Rajakhera	1	
47		Bari	1	
48		Sarmathura	1	
49		Basedi	1	
50	Karauli	Karauli	3	Karauli Municipal Council
51		Hindaun	3	
52		Todabhim	1	
53		Sapotara	1	
54	Sawai Madhopur	Sawai Madhopur	3	Sawai Madhopur Municipal Council
55		Gangapur City	3	
56		Bamanwas	1	
57	Bikaner	Bikaner	10	Bikaner Municipal Corporation
58		Sridungargarh	1	
59		Nokha	1	
60		Deshnoke	1	
61	Hanumangarh	Hanumangarh	3	Hanumangarh Municipal Council
62		Nohar	1	
63		Bhadra	1	
64		Sangaria	1	
65		Pilibanga	1	
66		Rawatsar	1	
67	Churu	Churu	3	Churu Municipal Council
68		Ratannagar	1	
69		Sardarshahar	1	
70		Rajaldesar	1	
71		Taranagar	1	
72		Rajgarh	1	
73		Sujangarh	3	
74		Chhapar	1	
75		Bidasar	1	
76		Ratangarh	1	
77	Ganganagar	Ganganagar	3	Ganganagar Municipal Council
78		Sadulshahar	1	
79		Anupgarh	1	
80		Vijainagar	1	
81		Raisinghnagar	1	
82		Padampur	1	
83		Kesrisinghpur	1	
84		Suratgarh	1	
85		Karanpur	1	
86		Gajsinghpur	1	
87		Lalgarh- Jatan	1	

सुरेश चन्द्र गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,

88		Jaipur Heritage	10	
89		Jaipur Greater	10	
90		Viratnagar	1	
91		Kotputli	1	
92		Chomu	1	
93		Shahpura	1	
94	Jaipur	Bagru	1	Jaipur Municipal Corporation
95		Chaksu	1	
96		Shambhar	1	
97		Jobner	1	
98		Phulera (Hq.Sambhar)	1	
99		Kishangarh Renwal	1	
100		Bassi	1	
101		Pavata	1	
102		Alwar	3	
103		Bhiwadi	3	
104		Kherli	1	
105		Thanagazi	1	
106		Rajgarh	1	
107	Alwar	Khairthal	1	Alwar Municipal Council
108		Tijara	1	
109		Kishangarh Bas	1	
110		Behror	1	
111		Laxmangarh (A)	1	
112		Bansur	1	
113		Ramgarh	1	
114		Jhunjhunun	3	
115		Nawalgarh	1	
116		Mukundgarh	1	
117		Khetri	1	
118		Udaipurwati	1	
119	Jhunjhunun	Pilani	1	Jhunjhunun Municipal Council
120		Surajgarh	1	
121		Vidyavihar	1	
122		Chirawa	1	
123		Bissau	1	
124		Baggar	1	
125		Mandawa	1	
126		Sikar	3	
127		Losal	1	
128		Lachhmangarh	1	
129	Sikar	Ramgarh Shekhawati	1	Sikar Municipal Council
130		Fatehpur	1	
131		Sri Madhopur	1	
132		Khandela	1	
133		Neem-Ka-Thana	1	

सुरेश चन्द गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर

134		Khatushyam	1	
135		Reengus	1	
136	Dausa	Dausa	3	Dausa Municipal Council
137		Bandikui	1	
138		Lalsot	1	
139		Mahwa	1	
140		Mandavari	1	
141	Jodhpur	Jodhpur North	8	Jodhpur Municipal Corpoartion
142		Jodhpur South	8	
143		Phalodi	1	
144		Pipadcity	1	
145		Bilara	1	
146		Bhopalgarh	1	
147	Barmer	Barmer	3	Barmer Municipal Council
148		Balotra	3	
149	Jaisalmer	Jaisalmer	3	Jaisalmer Municipal Council
150		Pokaran	1	
151	Jalor	Jalor	3	Jalor Municipal Council
152		Bhinmal	1	
153		Sanchore	1	
154	Sirohi	Sirohi	3	Sirohi Municipal Council
155		Sheoganj	1	
156		Abu Road	1	
157		Pindwara	1	
158		Mount Abu	1	
159		Jawal	1	
160	Pali	Pali	3	Pali Municipal Council
161		Sumerpur	1	
162		Takhatgarh	1	
163		Falna	1	
164		Sojat	1	
165		Jaitaran	1	
166		Bali	1	
167		Sadri	1	
168		Ranikhurd	1	
169	Kota	Kota North	8	Kota Municipal Corporation
170		Kota South	8	
171		Kaithoon	1	
172		Itawah	1	
173		Sangod	1	
174		Ramganj Mandi	1	
175		Sultanpur	1	
176	Baran	Baran	3	Baran Municipal Council
177		Antah	1	
178		Mangrol	1	
179		Chhabra	1	

सुरेश चन्द गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,

180		Atru	1	
181	Bundi	Bundi	3	Bundi Municipal Council
182		Nainwa	1	
183		Indragarh	1	
184		Lakheri	1	
185		Keshoraipatan	1	
186		Kaprain	1	
187	Jhalawar	Jhalawar	3	Jhalawar Municipal Council
188		Jhalrapatan	1	
189		Bhawani Mandi	1	
190		Pirawa	1	
191		Aklera	1	
192	Udaipur	Udaipur	10	Udaipur Municipal Corporation
193		Fatehnagar	1	
194		Salumbar	1	
195		Bhindar	1	
196		Kanod	1	
197	Banswara	Banswara	3	Banswara Municipal Council
198		Kushalgarh	1	
199		Gari partapur	1	
200	Chittaurgarh	Chittaurgarh	3	Chittaurgarh Municipal Council
201		Kapasan	1	
202		Nimbahera	1	
203		Bari Sadri	1	
204		Rawatbhata	1	
205		Begun	1	
206	Dungarpur	Dungarpur	3	Dungarpur Municipal Council
207		Sagwara	1	
208	Pratapgarh	Pratapgarh	3	Pratapgarh Municipal Council
209		Chhoti Sadri	1	
210	Rajsamand	Rajsamand	3	Rajsamand Municipal Council
211		Amet	1	
212		Nathdwara	1	
213		Deogarh	1	
			358	

सुरेश चन्द्र गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग
जयपुर

परिशिष्ठ –'स'

प्रारूप

इन्दिरा रसोई योजना

अनुबंध (Agreement) संख्या ..../2020

आज दिनांक .... को प्रथम पक्ष आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका .... एवं द्वितीय पक्ष .... संचालक संस्था का नाम व पता) के मध्य यह अनुबंध (Agreement) निष्पादित हुआ है।

यह अनुबंध इन्दिरा रसोई योजना के तहत नगर निगम/परिषद/पालिका.................(क्षेत्र का नाम) में स्थापित रसोई ....(रसोई का स्थान मय पता) के संचालन सम्बन्धी गतिविधियों के लिए संचालक संस्था के रूप में .... (फर्म का नाम) द्वारा सेवाऐं प्रदान करने के लिए सम्पादित किया गया है। इस सम्बंध में दोनो पक्ष सहमत है कि :–

1. कार्य :–

I. संचालक संस्था द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन, EoI, कार्यादेश व इस सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये/किये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप संचालक संस्था के रूप में सेवाऐं प्रदान करेगी।

II. संचालक संस्था द्वारा लाभार्थी के रसोई में आगमन पर योजना हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थी का फोटो खींचकर, नाम व मोबाईल न0 अंकित कर लाभार्थी से निर्धारित राशि प्राप्त करने के पश्चात कूपन जारी किया जायेगा, तत्पश्चात ही भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। संचालक संस्था द्वारा भोजन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पहचान हेतु आधार अथवा अन्य कोई दस्तावेज नहीं लिया जायेगा।

2. समयावधि :–

I. कार्यादेश जारी करने की दिनांक से 3 वर्ष हेतु अनुबन्ध प्रभावी रहेगा, जिसे आपसी सहमति से आगे बढाया जा सकेगा।

II. अनुबन्ध अवधि के सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही गाईडलाईन एवं EoI में वर्णित दिशा–निर्देशो/शर्तो के अनुसार की जावेगी।

III. संस्था की परफोरमेन्स व कार्यव्यवहार संतोषजनक नही पाये जाने या किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने व जांच/सत्यापन में सही पाये जाने पर संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा निरस्त किया जा सकेगा, ऐसी संस्थाओं को भविष्य में आवेदन हेतु अयोग्य माना जायेगा।

3. भुगतान :–

I. संचालक संस्था द्वारा लाभार्थी से दोपहर के भोजन हेतु 8 रू0 प्रति थाली एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु 8 रू0 प्रति थाली लिए जायेगें।

सुरेश चन्द गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर

II. संचालक संस्था को कार्यादेश में वर्णित दर के अनुसार वितरित किये गयें दोपहर एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु प्रति थाली की दर से अनुदान राशि दी जायेगी। नियमानुसार जीएसटी राशि का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

III. संचालक संस्था को अनुदान एवं नियमानुसार देय जीएसटी राशि का भुगतान प्रतिमाह किया जायेगा। भुगतान प्रक्रिया योजना की दिशा–निर्देशो के अनुसार किया जाएगा।

IV. संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत बिलों को संबधित नगर निकाय द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इसके प्रमाणीकरण का आधार स्टेट डाटा सेन्टर में वर्णित इकाईयां होगी।

4. **सब कॉन्ट्रेक्ट व पार्टनरशिप** :– संचालक संस्था को आवंटित कार्य या उसका कोई भी हिस्सा किसी भी परिस्थिति में उसके द्वारा किसी अन्य संस्था को Sub contract and Partnership पर नही दिया जायेगा।

5. **अनुबंध के लिए विधि** :– यह अनुबंध भारत तथा राजस्थान राज्य की विधि (Law) के तहत क्रियान्वित किया जायेगा। सभी विवादो का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

6. **क्षति पूर्ति** – आधारभूत मद से उपलब्ध करायी गये आधारभूत संसाधनो की जिम्मेदारी संचालक संस्था की होगी। चोरी होने अथवा खोने की स्थिति में संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर क्रय कर उपलब्ध कराना होगा। संचालक संस्था द्वारा अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के बाद उपलब्ध कराये गये समस्त संसाधनो को संबधित नगरीय निकाय को लौटाने होंगे।

7. **वाद विवाद** :– अनुबन्ध अवधि में किसी भी प्रकार के वाद–विवाद होने की स्थिति में संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, संचालक संस्था को दिया गया कार्यादेश एवं राज्य सरकार द्वारा जारी EoI तथा योजना के राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय समिति द्वारा निपटारा किया जाएगा।

8. **अनुबन्ध का भाग** :– संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, संचालक संस्था को दिया गया कार्यादेश, विभाग के आदेश क्रमांक एफ15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो./20/3704 दिनांक 02.08.2020 द्वारा योजना की जारी की गई गाईडलाईन (यथा संशोधित) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी EoI अनुबन्ध के भाग होगें।

नगर निकाय की ओर से	**संचालक संस्था की ओर से**
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर ....
नाम	नाम ....
पदनाम	पदनाम ....
गवाह	**गवाह**
1.	1. ....
2.	2. ....

सुरेश चन्द्र गुप्ता
परियोजना निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
—: इन्दिरा रसोई योजना :—

1. **प्रस्तावना :—** राज्य के नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सेवा केन्द्र के रूप में भी कार्य करते है। ग्रामीण जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, श्रम कार्यों इत्यादि हेतु नियमित आगमन करते है। नगरीय क्षेत्रों में आश्रय स्थल का निर्माण कर पलायन करने वाली जनसंख्या की आवास की व्यवस्था उपलब्ध होती है परन्तु भोजन की समुचित व्यवस्था न होने से इन गरीब परिवारों को कठिन परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाली जनसंख्या यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पताल, मजदूर चौकटी, विभिन्न मण्डियां एवं कच्ची बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक, स्थानीय स्वादानुसार एवं सस्ती दर पर खाना उपलब्ध करवाया जाना, इस योजना का उद्देश्य है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 15वीं विधानसभा के बजट सत्र में दिनांक 13.03.2020 को घोषणा की **"पूर्व सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना अच्छी योजना है, जिसमें शहरी गरीबों को सस्ता भोजन मिल पाता है, परन्तु इसे जिस रूप में बनाया गया है, उसमें गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं, इन्हें ठीक करने का अलग से कार्य किया जायेगा"**

अन्नपूर्णा रसोई योजना को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा तीन वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की टीम गठन कर अन्य राज्यों में संचालित इसी तरह की रसोई योजनाओ जैसे "अम्मा केन्टीन–चैन्नई", "इन्दिरा केन्टीन–बैंगलुरू" का अध्ययन किया गया। साथ ही अन्य प्रचलित योजनाओं यथा "किसान कलेवा योजना, राजस्थान", "दीनदयाल रसोई–मध्यप्रदेश" एवं "श्रमिक अन्नपूर्णा योजना–गुजरात" का भी अध्ययन किया गया। विभिन्न राज्यों में संचालित योजनाओं का निरीक्षण, सर्वे एवं इनसे प्राप्त तथ्यों तथा अन्नपूर्णा रसोई योजना की समीक्षा उपरान्त इसमें अपेक्षित सुधार करते हुए दिनांक 22.06.2020 को राज्य स्तरीय कोविड–19 जागरूकता अभियान की वर्चुअल लॉचिंग के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ने "कोई भूखा ना सोये" के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में "इन्दिरा रसोई योजना" की शुरुआत की घोषणाा की है। इस योजना के तहत जरूरतमन्द लोगों को दो समय का शुद्ध पोष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। योजना के संचालन में स्थानीय एन.जी.ओ. की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी एवं सूचना एवं प्रोद्योगिकी की सहायता से विभागीय मॉनिटरिंग होगी। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को रूपये 8/– प्रति व्यक्ति की दर पर

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

दोपहर/रात्रिकालीन भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। "इन्दिरा रसोई योजना" का विधिवत शुभारम्भ दिनांक 20.08.2020 से किया जाना है। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार है।

2. **योजना का मूल रूप एवं कार्यक्षेत्र –**

2.1 "इन्दिरा रसोई योजना" के अंतर्गत प्रदेश की समस्त नगर निकायों को सम्मिलित किया जायेगा। प्रत्येक नगर निकाय में कम से कम एक स्थायी रसोई का निर्माण कर गरीब जनता को दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा।

2.2 शहर के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार रसोईयों की संख्या एक से अधिक हो सकती है। बड़े शहरों में भोजन पहुंचाने के लिए आवश्यकतानुसार जिला कलक्टर की पूर्वानुमति से भोजन वितरण हेतु एक्सटेन्शन काउन्टर बनाये जाकर अथवा अतिआवश्यक होने पर वैन द्वारा भी भोजन वितरण किया जा सकेंगें, जिनकी मोनीटरिंग जिला कलक्टर द्वारा निर्देशित टीम द्वारा की जायेगी।

2.3 **जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति का गठन** – योजना के सफल संचालन, क्रियान्वयन एवं मोनेटरिंग हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति गठित की जावेगी। उक्त समिति का सहकारी विभाग के संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1959 के तहत गैर लाभकारी संगठन (NGO) के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। जिला कलेक्टर इस समिति के माध्यम से इस सम्पूर्ण योजना का क्रियान्वयन एवं नियमित समीक्षा करेंगे।

2.4 **स्थलों का चयन** –रसोई की स्थापना के लिए ऐसे स्थलों का चयन किया जायेगा, जिन क्षेत्रों में शहरी गरीबों का घनत्व अधिक हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पताल, मजदूर चौखटी, विभिन्न मण्डियां एवं कच्ची बस्तियां, आश्रय स्थल अथवा ऐसे व्यवसायिक केन्द्र जहां पर शहरी गरीब तबका आदि कार्यरत हो। स्थल का चयन जिले की सभी नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति के अनुमोदन के पश्चात किया जावेगा।

2.5 **स्थान** –संबंधित नगर निकाय द्वारा रसोई हेतु स्थान निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा। उपयुक्तता के आधार पर स्थान निर्धारण कर सरकारी भवनों, आश्रय-स्थल, अम्बेडकर भवन, सामुदायिक भवन, अनुपयोगी सरकारी भवनों, अस्पतालों, बस स्टेण्डों, चयनित संस्था के निजी भवनों आदि में संचालित की जायेगी। उक्त में से स्थान की अनुपलब्धता पर किराये के भवन में रसोई का संचालन किया जा सकेगा, जिसका भुगतान योजना के आवृति व्यय मद से किया जा सकेगा।

2.6 रसोईयों में भोजन वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित किया जायेगा। इसके लिए आधुनिक रसोईयों की स्थापना की जायेगी, जिनमें साफ-सुथरा एवं स्वस्थ वातावरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। स्वच्छ एवं स्मार्ट किचन जो यथासंभव यंत्रीकृत हों,

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव
स्वायत शासन विभाग

(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

निर्मित किये जावेगें। किचन इस प्रकार तैयार किये जायेंगे जिससे वे आसानी से साफ–सफाई करने योग्य, हवादार एवं आधुनिक सुविधा युक्त हों।

2.7 **योजना के कियान्वयन हेतु मुख्य दायित्व :–**

- **संस्था का चयन** – जिले की प्रत्येक नगर निकाय में रसोई योजना संचालन हेतु संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति द्वारा किया जायेगा। एकरूपता हेतु सभी 358 रसोईयों में भोजन की दरे निर्धारित कर दी गई हैं अतः समिति EoI के माध्यम से इस योजना के संचालन हेतु कार्यरत प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयंसेवी कल्याणकारी संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट में से चयन करेगी। संस्था के चयन हेतु नगर निकाय प्रचार–प्रसार के साथ पारदर्शिता से प्रस्ताव प्राप्त करेगी, समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर उसकी सक्षमता, कार्यानुभव, सेवाभाव एवं कार्यकलापों के आधार पर निम्नानुसार क्रम में वरियता देते हुए चयन करेगी :–
  i. जिन संस्थाओ का स्वयं का भवन हो ओर राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान नहीं लेकर, स्वयं के स्तर से योजना के मानदंडों के अनुसार रसोई का संचालन करने का प्रस्ताव दे।
  ii. जो संस्था राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि पूर्ण या आंशिक न लेकर योजना के मानदंडों के अनुसार रसोई का संचालन करने का प्रस्ताव दे।
  iii. जिन संस्थाओ का स्वयं का/स्वपोषित किराये का भवन हो, जो पूर्व में ऐसा कार्य कर रही हो।
  iv. प्रतिष्ठित स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थानीय संस्थाओं के एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर अधिक अनुभव वाली संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।
  v. ऐसी संस्था जो पूर्व में ही रसोई संचालित कर रही है, वे भी योजना से जुड सकती हैं। उन्हे अपनी रसोई में इन्दिरा रसोई योजना का लोगो प्रदर्शित करना होगा। साथ ही योजना के दिशा–निर्देशो के अनुरूप कार्य करना होगा।

चयनित संस्था से निर्धारित प्रारूप में तीन वर्ष की अवधि का अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। तत्पश्चात संस्था का कार्य सन्तोषजनक रहने पर अनुबन्ध की अवधि बढाई जा सकेगी। प्रत्येक नगर निकाय के लिए रसोई अथवा रसोई समूह के लिए पृथक–पृथक संस्था का चयन किया जा सकेगा। एक संस्था एक से अधिक नगर निकायों में भी कार्य कर सकेगी। रसोई संचालन हेतु उपरोक्त उल्लेखित संस्थाओं में से योजनाओं का पर्याप्त प्रचार–प्रसार के उपरांत भी सेवा

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

प्रदाता संस्था उपलब्ध नहीं होती है तो स्थानीय स्वयं सहायता समूह (SHG)/एरिया लेवल फेडरेशन (ALF)/सिटी लेवल फेडरेशन (CLF) को रसोई संचालन का दायित्व दिया जा सकता है अथवा निविदा जारी कर इच्छुक निविदा प्रदाता की सेवाएं लेने पर विचार किया जा सकता है।

- **आधारभूत व्यय**– आधारभूत मद में एकमुश्त राशि 5 लाख प्रति रसोई का प्रावधान रखा गया है, जिसमें प्रत्येक रसोई हेतु (i) भवन की एकरूपता साज–सज्जा (ii) पेयजल, विद्युत एवं गैस कनेक्शन (iii) रसोई हेतु बर्तन, बर्तन स्टेण्ड, खाना बनाने का प्लेटफॉर्म, गैस–चूल्हा, वेजिटेबल स्टेण्ड, गैस भट्टी, चिमनी, वाटर कूलर– आरओ सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज, चपाती वार्मर, सब्जी वार्मर, मिक्सर ग्राईण्डर, आटा गूंथने की मशीन (iv) कम्प्यूटर, लेजर प्रिन्टर, इन्टरनेट, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम (v) टेबल–कुर्सी एवं अन्य फर्नीचर (vi) सैनिटाइजर एवं मास्क (vii) कार्मिकों की यूनिफार्म एवं जिला समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति द्वारा निर्देशित अन्य कार्य पर व्यय किया जायेगा। उक्त आधारभूत संसाधनों का क्रय जिले की समस्त निकायों हेतु जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जायेगा।
- **आवर्ती व्यय** – आवर्ती मद में राशि 3 लाख प्रति रसोई/प्रतिवर्ष का प्रावधान रखा गया है, जिसमें प्रत्येक रसोई हेतु (i) पेयजल, इन्टरनेट एवं विद्युत के बिलों का भुगतान (ii) भवन के रंग रोगन, मरम्मत एवं साज–सज्जा का कार्य (iii) सैनिटाइजर एवं मास्क (iv) आवश्यकतानुसार खराब बर्तन एवं कैटरिंग सामान का रिप्लेसमेन्ट (v) सरकारी भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में भवन किराया जिला समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति की अनुशंषा पर रसोई के सुचारू संचालन में होने वाला अन्य व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा। निर्धारित राशि से अतिरिक्त व्यय होने पर राशि का भुगतान रसोई संचालक द्वारा किया जायेगा।
- सम्पूर्ण योजना के मोनेटरिंग हेतु निदेशालय एवं जिला स्तर पर पृथक प्रकोष्ठों का गठन किया जायेगा। इन प्रकोष्ठों में प्रभारी के अतिरिक्त स्टाफ एवं अपेक्षित संसाधन उपलब्ध करवाये जायेंगे। जिसका व्यय योजना के प्रशासनिक व्यय मद से किया जा सकेगा।

2.8 आम जनता इन्दिरा रसोई योजना की शिकायत पोर्टल पर कर सकती है। नगर निकाय द्वारा प्राप्त शिकायतों की जाँच कर अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धित संस्था के खिलाफ कर सकती है। असन्तोषजनक कार्यप्रणाली पाये जाने पर संस्था को सुनवाई का पर्याप्त समय देते हुए कार्य आदेश जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

पश्चात निरस्त किये जा सकते हैं। संस्था के आदेश निरस्त करने से पूर्व एक माह का समय दिया जायेगा।

2.9 सामान्यतः दोपहर का भोजन प्रातः 8.30 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक एवं रात्रिकालीन भोजन सायं 5.00 बजे से 8.00 बजे तक उपलब्ध कराया जायेगा, किन्तु जिला स्तरीय समिति अपने स्तर पर समय में परिवर्तन कर सकेगी। सर्दी एवं गर्मी के मौसम में आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन किया जा सकेगा।

2.10 जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति स्थानीय स्वादानुसार भोजन का मैन्यू निर्धारित करेगी। सप्ताह के प्रत्येक दिन मैन्यू भी स्थानीय स्वाद अनुसार समिति द्वारा निर्धारण किया जायेगा।

2.11 **रसोईयों का निर्धारण** – योजनान्तर्गत नगर निगम क्षेत्रों में 87 रसोईयॉ (अजमेर–10, जयपुर–20, जोधपुर–16, कोटा–16, बीकानेर–10, उदयपुर–10, भरतपुर–5)। प्रत्येक नगर परिषद क्षेत्र (कुल 34 नगर परिषद) में 03 रसोईयां एवं प्रत्येक नगर पालिका (कुल 169 नगर पालिका) क्षेत्र में 01 रसोई संचालित किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यकता एवं मांग अनुसार जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा पर राज्य सरकार के स्तर पर रसोई की संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा।

2.12 **खाने की संख्या** – रसोई संचालन के प्रथम वर्ष में नगर निगम क्षेत्रों में प्रति रसोई अधिकतम 300 थाली लंच एवं 300 थाली डिनर तथा नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्रों में प्रति रसोई अधिकतम 150 थाली लंच एवं 150 थाली डिनर दिया जायेगा। तत्पश्चात राज्य स्तरीय समिति की अनुशषा पर भोजन की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी। लाभार्थी को बैठाकर भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा।

2.13 **मैन्यू** –योजनान्तर्गत भोजन में चपाती, दाल, सब्जी एवं अचार सम्मिलित की जायेगी तथा स्थानीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार मैन्यू में स्थानीय स्वादानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार दिया जाएगा।

2.14 योजनान्तर्गत 213 नगर निकायों में 358 रसोईयों के माध्यम से दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जाकर, वर्तमान दिशा–निर्देशानुसार प्रतिदिन 1.34 लाख (4.87 करोड़ प्रतिवर्ष) से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा।

2.15 लाभार्थी से दोपहर के भोजन हेतु 8 रू0 एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु 8 रू0 प्रति थाली लिए जायेगें। राज्य सरकार द्वारा दोपहर भोजन प्रति थाली 12 रू. एवं रात्रिकालीन भोजन प्रति थाली 12 रू. अनुदान के रूप में देय होगा। नियमानुसार जीएसटी राशि का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

2.16 **बजट प्रावधान (वित्तीय)** – योजना के कियान्वयन में होने वाले व्यय का प्रावधान निदेशालय स्तर से किया जायेगा। योजना हेतु वित्तीय प्रावधान 50 प्रतिशत राशि नगर निकायों को देय राज्य वित्त आयोग अनुदान तथा शेष 50 प्रतिशत प्रथमतया

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
स्वायत शासन विभाग

(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

मुख्यमंत्री सहायता कोष से या आवश्यकता होने पर राज्य सरकार द्वारा अन्य मदों में उपलब्ध करवाई गई राशि से किया जाएगा। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर नगर निकाय द्वारा व्यवस्था की जायेगी। इस योजना के लिए जिले में स्थित सभी नगर निकायो के लिए जिला मुख्यालय की नगर निकाय के आयुक्त, आहरण वितरण अधिकारी होंगे। इस हेतु जिला मुख्यालय की नगर निकायों को योजनान्तर्गत बजट/राशि आवंटित की जायेगी।

2.17 **योजना का संभावित व्यय** :– योजनान्तर्गत 358 रसोईयों पर प्रथम वर्ष में संभावित व्यय राशि रूपये 94.96 करोड होगा, तत्पश्चात आधारभूत व्यय की एकमुश्त राशि को कम करने के बाद प्रतिवर्ष राशि रु. 78.98 करोड़ व्यय संभावित है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि रूपये में)

क्षेत्र का विवरण	रसोईयों की संख्या	अधिकतम भोजन की संख्या प्रति रसोई प्रतिदिन	अनुदान दर प्रति भोजन (रुपये में)	मासिक दिवसों की संख्या	संभावित व्यय
नगर निगम–10	87	600	12	30	1,87,92,000
नगर परिषद–34	102	300	12	30	1,10,16,000
नगर पालिका–152 *नवगठित –17	169	300	12	30	1,82,52,000
				योग	4,80,60,000
प्रशासनिक व्यय – 15% (A&OE, IEC)					**72,09,000**
				मासिक व्यय	**5,52,69,000**
				वार्षिक व्यय	**66,32,28,000**
आवर्ती व्यय – प्रत्येक रसोई हेतु (i) पेयजल इन्टरनेट एवं विद्युत के बिलों का भुगतान (ii) भवन के रंग रोगन, मरम्मत एवं साज–सज्जा का कार्य (iii) आवश्यकतानुसार खराब बर्तन एवं केटरिंग सामान का रिप्लेसमेन्ट (iv) जिला समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति की अनुशंषा पर रसोई के सुचारू संचालन में होने वाला अन्य व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा। राशि 3 लाख प्रति रसोई प्रतिवर्ष X 358					**10,74,00,000**
आधारभूत व्यय – प्रत्येक रसोई हेतु (i) भवन की एकरूपता साज–सज्जा (ii) पेयजल, विद्युत एवं गैस कनेक्शन (iii) रसोई हेतु बर्तन, बर्तन स्टेण्ड, खाना बनाने का प्लेटफॉर्म, गैस–चूल्हा, वेजिटेबल स्टेण्ड, गैस भट्टी, चिमनी, वाटर कूलर–आरओ सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज, चपाती वार्मर, सब्जी वार्मर, मिक्सर ग्राईण्डर, आटा गूंथने की मशीन (iv) कम्प्यूटर, लेजर प्रिन्टर, इन्टरनेट, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम (v) टेबल–कुर्सी एवं अन्य फर्नीचर (vi) सैनिटाइजर एवं मास्क (vii) कार्मिकों की यूनिफार्म एवं जिला समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति द्वारा निर्देशित अन्य कार्य पर व्यय किया जायेगा। राशि 5 लाख प्रति रसोई एक मुश्त X 358					**17,90,00,000**
कुल वार्षिक संभावित व्यय (कर अतिरिक्त)					**94,96,28,000**
अक्षरे रुपये चौरानवे करोड़ छियानवे लाख अठाइस हजार मात्र					

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

2.18 **दान व जनसहभागिता**– इस योजना में व्यक्ति/संस्था/कॉर्पोरेट/फर्म आर्थिक सहयोग कर सकती है। दान/सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में ही किया जा सकेगा। जिला कलक्टर अपने स्तर पर क्षेत्र में स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थान से सीएसआर फण्ड से सहयोग हेतु प्रयास कर सकते हैं तथा इन संस्थानों से एक या अधिक इंदिरा रसोई के संपूर्ण सचालन का जनसहभागिता के आधार पर उत्तरदायित्व दे सकते है। रसोई में विभिन्न दानदाताओं द्वारा अपने परिजनों की वर्षगांठ, जन्मदिवस या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर/रात्रि या दोनों समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं, भोजन के लागत मूल्य का भुगतान प्रायोजक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। आगंतुकों के लिए प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। इस आशय का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर संबंधित संस्था द्वारा किया जा सकेगा कि "आज का भोजन श्री .... द्वारा .... कारण से प्रायोजित है।" प्रायोजक व्यक्ति लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में किया जाएगा। भोजन प्रायोजित करने वाले व्यक्ति को उचित मान–सम्मान दिया जाएगा ताकि अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर सके। रसोई संचालित करने वाली संस्था द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किसी से भी रसोई प्रयोजनार्थ दान/सहयोग नहीं लिया जायेगा। परन्तु ऐसी संस्थायें सीधे रूप से दान एवं जनसहयोग की राशि ले सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि पूर्ण अथवा आंशिक न लेकर अपने स्तर से योजना के मापदण्डों के अनुसार कार्य करेगी।

2.19 भोजन की ईकाईयों के आधार पर अनुदान राशि एवं जीएसटी राशि के बिलों के भुगतान हेतु संस्था द्वारा बिल संबंधित नगर निकाय में प्रस्तुत किये जायेगें। संबंधित नगर निकाय बिलों का 07 दिवस में समुचित प्रमाणित कर बिलों को भुगतान हेतु जिला मुख्यालय की नगर निकाय को भेजे जायेगें, जहा बिल प्राप्त होने के बाद 07 दिवस में भुगतान किया जायेगा।

3. **नगरीय निकायों की भूमिका** – रसोई की स्थापना एवं उनके सुचारू संचालन की संपूर्ण जवाबदेही नगरीय निकायों की होगी। नगरीय निकाय रसोईयों के दिन–प्रतिदिन संचालन की नियमित मोनेटरिंग एवं समीक्षा करेगी।

3.1 प्रदेश में कोरोना वैश्विक महामारी में कामगार, अप्रवासी मजदुर, शहरी गरीबों एवं जरूरतमन्दों आदि को भोजन वितरण के दौरान केन्द्र, राज्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो के अनुसार कार्यरत कार्मिक/लाभार्थियों को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेन्सिंग व सैनेटाइजर की व्यवस्था आवश्यक होगी, साथ ही सभी रसोईयों में सेनिटाजेशन आदि व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जावेगी। रसोइयों में कार्यरत कार्मिकों की समय–समय पर स्वास्थ्य जाँच ~~करवाना~~ जौना आवश्यक होगा।

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

3.2 जिला मुख्यालय की निकाय द्वारा जिले में स्थित रसोईयो हेतु आधारभूत सामग्री निविदा के माध्यम से क्रय की जा सकेगी।

3.3 इन रसोईयों हेतु भवन की व्यवस्था संबंधित नगर निकाय, जिला प्रशासन या संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें।

3.4 संबंधित नगर निकाय इन रसोईयों के भवन में होने वाले पूंजीगत व्यय हेतु जनसहयोग भी प्राप्त कर सकती है। सहयोग राशि हेतु नगर निकाय द्वारा अलग से बैंक खाता खोला जाकर प्राप्त राशि जमा करेगी।

3.5 प्रत्येक रसोई में डेस्कटॉप/कम्प्यूटर एवं कैमरा होगा, जिससे लाभार्थी के रसोई में आगमन के समय कैमरे की मदद से आगन्तुक की फोटो खींचकर उसके नाम से भोजन हेतु कूपन जारी करेगें। लाभार्थी से संबंधित समस्त डेटा का रियल टाईम आधार पर स्टेट डाटा सेन्टर पर स्वतः संधारण होगा। भोजन हेतु लाभार्थी की पहचान के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा जावेगा।

3.6 संचालित संस्थाओं से प्राप्त बिलों को सम्बन्धित नगर निकाय प्रमाणित कर बिल भुगतान हेतु जिला मुख्यालय की नगर निकाय (आहरण वितरण अधिकारी) को प्रस्तुत करेगी।

3.7 जिला एवं निकाय स्तर पर योजना का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। नगर निकाय स्तर पर आयोजित बैठकों में इस योजना को स्थायी एजेण्डा बनाकर योजना की जानकारी दी जाकर समीक्षा की जाएगी।

3.8 संबंधित नगर निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नियमित रूप से रसोई का भौतिक निरीक्षण कर गुणवत्ता, पौष्टिकता, स्वच्छता एवं सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली इत्यादि से संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर जिला कलेक्टर/निदेशालय को भेजेगा। यह समस्त जानकारियां पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध होगी।

3.9 रसोईयों की साफ–सफाई एवं रसोईयों से अवशिष्ठ/झूठन को नगर निकायों द्वारा नियमित रूप से निष्पादन किया जावेगा।

4. जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति का गठन एवं दायित्व–

4.1 योजना के संचालन, क्रियान्वयन मोनेटरिंग एवं समीक्षा हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति गठित की जावेगी। इस समिति का सहकारी विभाग के संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1959 के तहत गैर लाभकारी संगठन (NGO) के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा एवं समिति का पृथक से एक बैंक खाता खोला जायेगा। जिला कलेक्टर इस समिति के माध्यम से जिले में स्थित सभी इन्दिरा रसोईयों की नियमित समीक्षा करेंगे। उक्त समिति के गठन एवं कार्यशील होने तक जिला कलक्टर अपने स्तर पर इस योजना का प्रारम्भिक संचालन एवं समीक्षा करते रहेंगे।

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(Bhawani Singh Detha)
...ary to Government

4.2 जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति का गठन का स्वरुप निम्नानुसार रहेगा :—

1	जिला कलक्टर	पदेन अध्यक्ष
2	जिला मुख्यालय की नगर निकाय का आयुक्त	पदेन सचिव एवं कोषाध्यक्ष
3	जिला रसद एवं खाद्य अधिकारी	पदेन सदस्य
4	सचिव, कृषि उपज मण्डी	पदेन सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
6	कोषाधिकारी	पदेन सदस्य
7	जिले की अन्य नगर निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी	पदेन सदस्य

उक्त समिति दिशानिर्देश जारी होने के साथ ही अपने दायित्व का सम्पादन करेगी। जिला कलक्टर पदेन अध्यक्ष अपने स्तर से स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सदस्यों की संख्या में कमी/वृद्धि कर सकेंगे तथा आवश्यकता होने पर स्थानीय प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनो को भी सम्मिलित कर सकेंगे।

4.3 **जिला स्तरीय समिति के दायित्व :–**

- रसोई के संचालन हेतु सेवाभावी संस्था का चयन करने हेतु प्रचार–प्रसार के माध्यम से प्रस्ताव आमन्त्रित करना। आमन्त्रित प्रस्ताव में से नियमानुसार एवं पारदर्शी तरीके से चयन करना। चयनित संस्था से तीन वर्ष की अवधि के अनुबंध का निष्पादन करना।
- रसोई के लिये आधुनिक किचन, उपकरणों का निर्धारण, भोजन बनाने के लिये आवश्यक सामग्री, बैठक व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत अधोसंरचना संबंधित नगर निकाय द्वारा तैयार योजना की स्वीकृति।
- रसोई में वितरित होने वाले साप्ताहिक मैन्यू का निर्धारण।
- रसोई में सफल संचालन हेतु अंर्तविभागीय समन्वय, इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की नियमित बैठक आयोजित करना।
- रसोई के प्रभावी संचालन हेतु सतत् मोनेटरिंग एवं समीक्षा एवं राज्य सरकार को संचालन मे सुधार हेतु सुझाव देना।
- रसोईयों द्वारा तैयार भोजन की गुणवत्ता एवं हाईजीन की नियमित रूप से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिले की नगर निकाय में नियुक्त खाद्य निरीक्षक द्वारा जाँच कराना सुनिश्चित करेगें।
- नगरीय निकायों को योजना के कियान्वयन हेतु मार्गदर्शन एवं निर्देशन।
- जिले की समस्त नगर निकायो में इस योजना के लिए प्रस्तुत बिलों की समय पर एवं नियमित भुगतान को सुनिश्चित करना।

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

(Bhawani Singh Detha)
...ary to Government

- इस योजना में संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान जिला स्तर पर किया जायेगा, जिसके लिए आहरण वितरण अधिकारी जिला मुख्यालय की नगर निकाय के आयुक्त होगें।
- नगर निकायों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणीकृत बिलों के भुगतान की प्रक्रिया आहरण वितरण अधिकारी द्वारा की जायेगी, जिसकी समस्त प्रक्रिया जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनिटरिंग समिति द्वारा की जावेगी।
- समिति सम्पूर्ण जिले की नगर निकायों में होने वाले इस योजना के संभावित व्यय की गणना करेगी एवं उसके लिए निदेशालय से आवश्यक बजट की मांग करेगी।
- समिति को अपेक्षित सहयोग करने के लिए जिला मुख्यालय की नगर निकाय में प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा।
- सचिव, कृषि उपज मण्डी अच्छी क्वालिटी स्तर का अनाज, सब्जी इत्यादि रियायती दर पर उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे।

5. **संस्था की भूमिका एवं दायित्व** – जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति से चयनित संस्था रसोई के सुचारू संचालन हेतु उत्तरदायी होगी। चयनित संस्था, जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति तथा नगरीय निकाय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में कार्य करेगी। संस्था के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार होंगे:–

5.1 संस्था द्वारा लाभार्थियों को स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जावेगा।

5.2 संस्था द्वारा भोजन बनाने हेतु रसद व अन्य सामग्री यथा आटा, दाल, सब्जी, तेल, मसाले इत्यादि स्वयं के खर्च पर क्रय किये जायेंगे। स्थानीय निकाय द्वारा बिल प्राप्त होने पर केवल अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

5.3 भोजन बनाने एवं वितरण करने से संबंधित समस्त कार्य तथा केन्द्र को साफ सुथरा रखने के लिए आवश्यक कार्मिक एवं साधनों की व्यवस्था की जावेगी।

5.4 संस्था द्वारा भोजन बनाने एवं वितरण करने से संबंधित कार्य हेतु लगाये गये कार्मिकों का वेतन भुगतान एवं उपयोग में लिए जा रहे साधनों का क्रय स्वयं के स्तर पर किया जावेगा।

5.5 भोजन व्यवस्था के लिए लगने वाले ईंधन/गैस की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर की जावेगी।

5.6 संस्था को जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति की सलाह से सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए स्थानीय स्वादानुसार मैन्यु तैयार करना होगा। संस्था द्वारा भोजन का मैन्यु, मूल्य एवं समय का विवरण रसोई के आसपास सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

5.7 रसद एवं अन्य सामग्री तथा रसोई पर हो रहे आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित किया जायेगा, जो कम्प्यूटरीकृत होगा। यह समस्त जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगी। जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग कमेटी संस्था को दिए गए अनुदान की जाँच कर सकेगी।

5.8 लाभार्थियों से भोजन हेतु राशि नगद के अलावा ऑनलाईन यथा पेटीएम, फोनपे, इत्यादि के माध्यम से भी ली जा सकेगी।

5.9 लाभार्थी से निर्धारित प्रक्रिया से राशि प्राप्त कर कूपन जारी करना होगा। तत्पश्चात ही भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। लाभार्थी के पहचान हेतु आधार अथवा अन्य दस्तावेज भोजन प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है।

5.10 लाभार्थी से दोपहर का भोजन एवं रात्रि का भोजन की निर्धारित राशि 8 रूपये प्रति थाली ली जावेगी।

5.11 संस्था द्वारा वितरित भोजन की संख्या के आधार पर अनुदान हेतु मासिक बिल संबंधित नगर निकाय को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। संस्था नगर निकाय से बिलों को प्रमाणित करवाकर बिल भुगतान हेतु जिला मुख्यालय की नगर निगम/नगर परिषद के आहरण वितरण अधिकारी को भिजवाने में सहयोग करेगा।

5.12 संस्था का यह दायित्व होगा कि कोई भी व्यक्ति जो रसोई पर नियत समय सीमा में भोजन के लिये आ रहा है, तो वह बिना भोजन के वापिस नही जावें।

5.13 प्रत्येक रसोई पर प्राथमिक उपचार/अग्निसुरक्षा उपकरण एवं सैनिटाईजर आदि रखे जावेगें।

6. निदेशालय स्तर पर किए जाने वाले कार्य –

6.1 संबंधित विभागों को सम्मिलित करते हुए राज्य स्तरीय प्रबन्धन एवं मोनेटरिंग समिति का गठन किया जावेगा। राज्य स्तरीय प्रबन्धन एवं मोनेटरिंग समिति का गठन का स्वरुप निम्नानुसार रहेगा :–

1	माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग	पदेन अध्यक्ष
2	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	पदेन सदस्य
3	प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	पदेन सदस्य
4	प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग	पदेन सदस्य
5	शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	पदेन सदस्य
6	शासन सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	पदेन सदस्य
7	शासन सचिव, वित्त (व्यय)	पदेन सदस्य
	निदेशक, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य सचिव

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

6.2 योजनान्तर्गत वित्तीय प्रावधान 50 प्रतिशत राशि नगर निकायों को देय राज्य वित्त आयोग अनुदान तथा 50 प्रतिशत प्रथमतया मुख्यमंत्री सहायता कोष से या आवश्यकता होने पर राज्य सरकार द्वारा अन्य मदों से उपलब्ध करवाई गई राशि से किया जाएगा। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर नगर निकाय द्वारा व्यवस्था की जायेगी।

6.3 योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं मोनेटरिंग हेतु कुल योजना के 15 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय का प्रावधान किया जायेगा। इस राशि से निदेशालय स्तर पर, जिला मुख्यालय की नगर निकायों एवं जिला कलेक्टर स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन कर संचालन किया जा सकेगा। योजना का प्रचार प्रसार भी इस मद से किया जायेगा।

6.4 सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से आई.टी. आधारित रियल टाईम ऑनलाईन मोनेटरिंग सिस्टम विकसित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक रसोई को इस सिस्टम से जोडा जायेगा। लाभार्थियों को भोजन लेते समय कूपन जारी किया जावेगा। इस कूपन का संधारण स्टेट डाटा सेन्टर में किया जायेगा। प्रत्येक रसोई में सीसीटीवी कैमरे की स्थापना भी की जाएगी एवं इसको स्टेट डाटा सेन्टर से भी जोड़ा जाएगा।

6.5 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन एवं कार्य प्रणाली तैयार कर जारी करना। जिला स्तर से मांगे गए स्पष्टीकरण के संबंध में मार्गदर्शन करना।

6.6 संभाग स्तर पर सभी नगर निकायों में समन्वय स्थापित करने हेतु उप निदेशक (क्षेत्रीय) अपने संभाग में निरन्तर पर्यवेक्षण करेगें।

6.7 उप निदेशक (क्षेत्रीय), जिला स्तरीय समितियों, निकाय स्तर के अधिकारियों के निरीक्षण, मोनेटरिंग, समीक्षा व विभिन्न प्रतिवेदनों का परीक्षण कर योजना को सफल बनाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना।

6.8 योजना के संचालन हेतु चयनित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत बिलों को संबंधित नगर निकाय द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इसके प्रमाणीकरण का आधार स्टेट डाटा सेन्टर में वर्णित इकाईयां होगी।

6.9 जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा पर राज्य सरकार के स्तर पर इन्दिरा रसोई योजना के दिशा-निर्देशों में परीक्षण पश्चात परिवर्तन किया जा सकेगा।

6.10 निदेशालय स्तर पर आयोजित बैठकों में इस योजना की नियमित समीक्षा हेतु स्थायी एजेण्डा बनाया जायेगा।

7. भुगतान प्रकिया –

7.1 जिले की समस्त नगर निकायों के बिलों का भुगतान जिला स्तर पर किया जायेगा। भुगतान प्रकिया सम्पादित करने के लिए जिला मुख्यालय की नगर निकाय के आयुक्त, आहरण वितरण अधिकारी होगें।

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

7.2 इन्दिरा रसोई योजना हेतु राज्य स्तर पर एक केन्द्रीयकृत बैंक खाता खोला जाकर योजनान्तर्गत प्राप्त राशि इस खाते में जमा करवाई जायेगी।

7.3 जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति का भी अलग से एक बैंक खाता खोला जायेगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति/संस्था/कॉर्पोरेट दान एवं सहयोग की राशि जमा करा सकेगा।

7.4 ज़िला स्तर पर भुगतान हेतु भी जिला मुख्यालय की नगर निगम/नगर परिषद में योजना हेतु अलग से बैंक खाता खोला जाएगा। योजना का किसी भी प्रकार का भुगतान इन्हीं बैंक खातों से किया जाएगा।

7.5 भुगतान की गणना निर्धारित प्रकिया से जारी कूपन के आधार पर की जायेगी, जिसका संधारण स्टेट डाटा सेन्टर पर होगा।

7.6 चयनित संस्था से लाभार्थी दोपहर का भोजन प्रति थाली 8 रू0 एवं रात्रिकालीन भोजन प्रति थाली 8 रू0 का भुगतान कर कूपन प्राप्त कर कूपन के माध्यम से ही भोजन प्राप्त कर सकेगा।

7.7 चयनित संस्था को लाभार्थी द्वारा देय राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि देय होगी। अनुदान राशि दोपहर का भोजन प्रति थाली 12 रू. एवं रात्रिकालीन भोजन प्रति थाली 12 रू. देय होगा। इसके अतिरिक्त लाभार्थी से ली गयी राशि पर देय जीएसटी का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

7.8 अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु चयनित संस्थाओं द्वारा वितरित किये गये भोजन एवं उसके आधार पर स्टेट डाटा सेन्टर में वर्णित वास्तविक वितरित भोजन की इकाईयों के आधार पर बिल तैयार करवाये जायेगें। इन बिलों का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

7.9 जिला स्तरीय समिति द्वारा जिले में स्थित सभी नगरीय निकायों में संचालित रसोईयों की अधिकतम सीमा से अधिक भोजन वितरण का भुगतान नहीं किया जायेगा।

7.10 मासिक आधार पर बिल तैयार किए जायेगें तथा संस्था द्वारा महिने का बिल आगामी माह की 07 तारीख तक संबंधित नगर निकाय में प्रस्तुत करेगा।

7.11 संस्था द्वारा प्रस्तुत बिलों का प्रमाणीकरण संबंधित नगर निकाय द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध इकाईयों के आधार पर किया जायेगा। संस्था द्वारा प्रस्तुत बिलों को संबंधित नगर निकाय द्वारा आगामी 07 दिवसों मे आवश्यक रूप से जिला मुख्यालय की नगर निकाय (आहरण वितरण अधिकारी) को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.12 प्रमाणित बिलों को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आगामी 07 दिवसों में संबंधित संस्था को भुगतान किया जाएगा।

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

8. **मोनेटरिंग व्यवस्था –**

8.1 योजना की आई टी मोनेटरिंग हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साफ्टवेयर कर आईटी आधारित मोनेटरिंग सिस्टम से प्रत्येक रसोई को जोड़ा जायेगा, जिसके माध्यम से रियल टाइम मोनेटरिंग, रसोई पर उपस्थित सीसीटीवी कैमरे का लाईव फीड एवं विडियो कान्फ्रेन्सिग आदि से की जायेगी। इस कार्य हेतु निदेशालय के संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) द्वारा सूचना एवं प्राद्योगिकी विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए योजना की मोनेटरिंग व्यवस्था की जावेगी।

8.2 योजना में लाभार्थियों की सूचना पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध होगी।

8.3 प्रत्येक रसोई में डेस्कटॉप/कम्प्यूटर एवं कैमरा होगा, जिससे लाभार्थी के रसोई में आगमन के समय कैमरे की मदद से आगन्तुक की फोटो खींचकर उसके नाम से भोजन हेतु कूपन जारी करेगें। साथ ही कुपन प्राप्त करते ही लाभार्थी को एक एसएमएस प्रेषित किया जायेगा, जिस पर लाभार्थी द्वारा फिडबैक भी दिया जा सकेगा। लाभार्थी से संबंधित समस्त डेटा का रियल टाईम आधार पर स्टेट डाटा सेन्टर पर स्वतः संधारण होगा।

8.4 मोबाईल ऐप्प द्वारा निदेशालय, उप निदेशक (क्षेत्रीय), जिला कलक्टर एवं निकाय स्तर पर मोनेटरिंग।

8.5 सॉफ्टवेयर के स्तर पर ही कन्ट्रोल मैकेनिज्म तैयार किया जायेगा।

8.6 निदेशालय के अधिकारी/जिला स्तरीय समिति के सदस्यों/जिला कलक्टर द्वारा निर्देशित अधिकारीयों यथा जिला प्रशासनिक अधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी/नगर निकायों के अधिकारी द्वारा भोजन की गुणवत्ता, रसोईयो की व्यवस्था इत्यादि का नियमित निरीक्षण (प्रति सप्ताह) किया जाकर निदेशालय/जिला कलक्टर को आवश्यक सुझाव/रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।

9 **अंकेक्षण** – महालेखाकार कार्यालय एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अतिरिक्त निदेशालय के स्तर से गठित अंकेक्षण दल द्वारा प्रत्येक नगर निकाय में संचालित इन्दिरा रसोई के व्यय का वार्षिक अंकेक्षण किया जाएगा। साथ ही संचालक संस्था की सी.ए आडिट भी कराई जावेगी।

10 **पारितोषिक/प्रशस्ति पत्र** –जिले में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली 2 रसोई संचालन संस्था को जिला कलक्टर प्रति वर्ष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगे तथा 1 रसोई संचालन संस्था को राज्य स्तर पर सम्मान के लिए नामित करेंगे।

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(Bhawani Singh Detha)
...tary to Government